न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/109 **दायरा दिनांक : 13.07.2022**

उनवान

1– ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन, निवासी बराना, जिला बारां हाल 241 महावीर नगर सेकण्ड कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान –
1/1– श्रीमती सीता देवी, आयु 62 वर्ष पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश
1/2– नरेश कुमार गुप्ता उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
1/3– योगेश गुप्ता आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
1/4– जितेन्द्र खण्डेलवाल उम्र 31 वर्ष पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासीगण मकान नम्बर 241 महावीर नगर सेकण्ड, कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेशचन्द्र पुत्र श्री मिश्रीलाल तथाकथित दत्तक पुत्र मोती, जाति गुसाई, निवासी छजाबा, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान –
1/1– कृष्ण गोविन्द पुत्र रमेशचन्द्र
1/2– विजय शंकर पुत्र रमेशचन्द्र
1/3– महेन्द्र गोस्वामी पुत्र रमेशचन्द्र
1/4– भारत पुत्र रमेशचन्द्र
1/5– यशोद पुत्री रमेशचन्द्र
1/6– सावित्री पुत्री रमेशचन्द्र
जाति गुसाई, निवासीगण छजाबा, तहसील अटरू, जिला बारां
1/7– श्रीमति रामदुलारी बेवा रमेशचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी छजाबा, तहसील अटरू, जिला बारां
2– गुड्डीबाई पत्नी राजेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम मूण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां
3– प्रीतमबाई पत्नि महेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम मूण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां
4– चतुर्भुज पुत्र ..... जाति महाजन, निवासी बराना, तहसील व जिला बारां
5– मोती आत्मज ..... जाति गुसाई, निवासी बराना, तहसील व जिला बारां (तथाकथित मृतक)
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री संजय पाटोदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/2, 1/5, 1/6, 1/7 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 86/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल बराना, तहसील बारां के हाल खतोनी क्रमांक 56 के खसरा नं. 342 रकबा 1.90 हेक्टर, जमाबंदी संवत 2072 में चतुर्भुज पुत्र ..... जाति महाजन साकिन देह मोती पुत्र ..... जाति गुसाई साकिन देह के नाम समभाग खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री प्रदान कर

दावा वादीगण अपीलांट निरस्त कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरीस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के दादा श्री लक्ष्मीनारायण जी के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नं. 316 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जिसके बाद सैटलमेन्ट ने नवीन खसरा नं. 265 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा कायम किये गये तथा उसी खसरा नम्बर 316 की शेष भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण तरीके से नये खसरा नं. 265/612 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा कायम किये गये जो कि अपीलांट के दादा की लक्ष्मीनारायण जी के खाते की एवं कब्जे की भूमि थी अर्थात् दोनों नम्बर 265 व 265/612 अपीलान्ट के दादा के खाते की भूमि से ही बनाये गये थे परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण तरीके से बिना किसी अधिकार के उक्त खसरा नम्बर 265/612 की भूमि मिलान क्षेत्रफल में किस भूमि से बनी इसका अंकन ही नहीं किया और त्रुटि पूर्ण तरीके से उक्त खसरा नम्बर 265/612 की भूमि चतुर्भुज पुत्र ..... मोती पुत्र ..... के खाते दर्ज कर दी। उक्त चतुर्भुज व मोती की ना तो वल्दियत लिखी ना ही उसका कोई अस्तित्व ही था। सेटलमेन्ट की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर 265/612 की भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 1.90 हैक्टर है को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। उक्त सम्पूर्ण तथ्य एवं रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध था, किन्तु फिर भी उसको नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णिय एवं डिकी प्रदान कर दावा वादी अपीलांट निरस्त कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में कानूनी त्रुटि की है कि अपीलांट वादी द्वारा 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। धारा 136 एल आर एक्ट एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसमें केवल स्वीकृत अथवा राजीनामा के आधार पर ही निर्णय दिया जा सकता है जहां ऐसी स्थिति ना हो वहां केवल मात्र 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वाद में ही उक्त प्रकार की किसी भी त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है और वादी अपीलान्ट द्वारा धारा 89 राज० टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत ही यह वाद प्रस्तुत किया गया है। कानून के सारवान सिद्धान्तों की अवहेलना करके अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्रदान कर दावा वादी – निरस्त कर दिया है जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीव है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया वि दत्क पुत्र के आधार पर मोती का जो इन्तकाल खोला गया है वह वर्तमान में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलाधीन है तथा विवादित है। उक्त तथ्य को नजरअन्दाज करअधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी प्रदान कर वादी अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया जो पूर्ण रूप से त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया वि वादी अपीलान्ट द्वारा घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका कि सुनने का श्रवणाधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही है। सिविल न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है तथा गुड्डीबाई व प्रीतम बाई के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य दस्तावेज है तथा शुन्य दस्तावेज को निरस्त करवाने की कानूनन आवश्यकता नहीं होती है। कानून के इस सुस्थापित सिद्धान्त की अवहेलना करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण तथा कानून के विपरीत यह वर्णित करते हुये कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी केवल मात्र इस आधार पर निर्णय एवंडिकी प्रदान कर दावा वादी अपीलान्ट निरस्त कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के केवल मात्र कयासों के आधार पर त्रुटि पूर्ण तरीके से यह वर्णित करते हुऐ कि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में विफल रहा है और केवल इस त्रुटि पूर्ण आधार पर दावा वादी अपीलान्ट निरस्त कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण न अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है ।अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के न बिना किसी दस्तावेज के तथा गोद के कानून की अवहेलना कर त्रुटि पूर्ण तरीके से बिना किसी आधार के रमेश चन्द को मोती का दत्तक पुत्र मानकर निर्णय प्रदान कर दिया तथा इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि उक्त मोती नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज करअधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि नोन– जोइण्डर ऑफ पार्टी के आधार पर दावा निरस्त नहीं किया जा सकता, कानून के इस सुस्थापित सिद्धान्त की अवहेलना कर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी अपीलांट निरस्त कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–05–2022 को निर्णय प्रदान कर दिया गया जबकि उक्त दिनांक 02–05–2022 को वादी ओमप्रक्राश जी का निधन हो गया था तथा उक्त सूचना मौखिक रूप से माननीय अधीनस्थ न्यायालय को दे दी थी परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय प्रदान

कर दिया जो त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उक्त व्यक्ति मोती एवं चतुर्भुज अस्तित्वविहीन है जिनकी वल्दियत का भी पता नहीं है, परन्तु एक काल्पनिक व्यक्ति मोती का रमेश को गोद पुत्र मानकर व मोती को मृतक मानकर निर्णय प्रदान किया गया परन्तु फिर भी मोती को पक्षकार नम्बर 12 वर्णित कर निर्णय प्रदान कर दिया गया है जो सर्वथा विरोधाभाषी है तथा त्रुटि पूर्ण है और यही कारण था कि चतुर्भुज का अस्तित्व का ना तो उक्त मोती के तथाकथित वारिस ही बता पाये ना ही अखबार के माध्यम से ही पेपर पब्लिकेशन कर पता चला, उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि खसरा नं. 316 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा था जिसके बाद भू प्रबन्ध ने संवत 2013–2032 में खसरा सं. 265 बना, जो 16 बीघा 11 बिस्वा बना तथा खसरा नं. 265/612 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 4 व 5 के नाम दर्ज कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हमारा रकबा कम कर दिया गया, जिसे पूरा किया जावे। हमारे कम हुए रकबे की पूर्ति खसरा सं. 265/612 हाल खसरा सं. 342 से होनी है। रमेश चन्द मोती का दत्तक पुत्र होना भी साबित नहीं है।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यदि वादी का रकबा कम हुआ है तो वह किस खसरा नम्बरान से कम हुआ है। यह साबित करने की जिम्मेदारी वादी अपीलांट की है। वादी द्वारा अपना दावा सिद्ध नहीं किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र में कुल 12 किता रकबा 130 बीघा 6 बिस्वा भूमि का वर्णन किया गया है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है। सम्वत 2010 से 2013 में उक्त आराजी लक्ष्मीनारायण, रामकिशन, नन्दकिशोर पुत्रान नेनकराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना वर्णित है। वादी द्वारा खसरा सं. 316 में से खसरा सं. 265/612 निर्णित होकर प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 4 व 5 के दर्ज होना वर्णित करते हैं। हमारी राय में संयुक्त खातेदारी की भूमि में मात्र एक खातेदार द्वारा वाद दायर करना त्रुटिपूर्ण है। वादी द्वारा रामकिशन व नन्दकिशोर या उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाना त्रुटिपूर्ण है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया, जिससे भूमि का बंटवारा होना साबित हो।

वादी द्वारा भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटि बताकर वाद दायर किया गया है। लेकिन वादी द्वारा जिस 130 बीघा 6 बिस्वा भूमि का वर्णन किया गया है उसका सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया। उक्त आराजी का आंशिक मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। वादी को वाद साबित करने हेतु सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल तथा नक्शा पेश करना चाहिए था।

वादी द्वारा खसरा संख्या 265/612 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा गत खसरा सं. 316 से बनने का कथन किया है लेकिन इसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। उक्त वाद को दो भू प्रबन्ध संक्रियाओं के पश्चात् पेश करने का भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः हमारी राय में अपीलांट द्वारा अपनी अपील सिद्ध करने में असमर्थ रहने के कारण अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 21/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन, निवासी बराना, जिला बारां हाल 241 महावीर नगर सेकण्ड कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान –
1/1– श्रीमती सीता देवी, आयु 62 वर्ष पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश
1/2– नरेश कुमार गुप्ता उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
1/3– योगेश गुप्ता आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
1/4– जितेन्द्र खण्डेलवाल उम्र 31 वर्ष पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासीगण मकान नम्बर 241 महावीर नगर सेकण्ड, कोटा

.... अपीलांट्स

बनाम

1– रमेशचन्द्र पुत्र श्री मिश्रीलाल तथाकथित दत्तक पुत्र मोती, जाति गुसाई, निवासी छजाबा, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान –
1/1– कृष्ण गोविन्द पुत्र रमेशचन्द्र
1/2– विजय शंकर पुत्र रमेशचन्द्र
1/3– महेन्द्र गोस्वामी पुत्र रमेशचन्द्र
1/4– भारत पुत्र रमेशचन्द्र
1/5– यशोद पुत्री रमेशचन्द्र
1/6– सावित्री पुत्री रमेशचन्द्र
जाति गुसाई, निवासीगण छजाबा, तहसील अटरू, जिला बारां
1/7– श्रीमति रामदुलारी बेवा रमेशचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी छजाबा, तहसील अटरू, जिला बारां
2– गुड्डीबाई पत्नी राजेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम मूण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां
3– प्रीतमबाई पत्नि महेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम मूण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां
4– चतुर्भुज पुत्र ..... जाति महाजन, निवासी बराना, तहसील व जिला बारां
5– मोती आत्मज ..... जाति गुसाई, निवासी बराना, तहसील व जिला बारां (तथाकथित मृतक)
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2022/109**
मु.द.नं0 **86/2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **02.05.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07 माह 05** सन् **2024**

श्री **संजय पाटोदी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **विद्याशंकर गोस्वामी** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/2, 1/5, 1/6, 1/7 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21 माह 05 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)